हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,धर्मशाला।

क्रमांकःहि०शि०बो०(33)दसवीं/एस ओ एस /लैटर सैट/2023/125-145 दिनांकः- 20/01/2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अंतर्गत सितम्बर, 2022 में संचालित करवाई गई दसवीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परीक्षा परिणाम आज दिनांक **20-01-2023** को घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

Total Candidates	Pass	Fail	Re-appear	RLE	RLF	RLD	PRS	PRC	DIS	CAN	Pass %
7351	2980	32	2622	1176	407	87	28	12	7	0	41

इच्छुक परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण हेतु अपने अध्ययन केन्द्र के माध्यम से केवल ऑनलाईन प्रकिया के द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2023 तक रू० 500/- प्रति विषय पुनर्मूल्यांकन शुल्क व रू० 400/- प्रति विषय पुनर्निरीक्षण शुल्क की दर से आवेदन कर सकते है। पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के लिए सम्बन्धित विषय में कम से कम 20% अंक होना अनिवार्य हैं

इसके साथ ही जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम री-अपीयर /अनुतीर्ण घोषित हुआ है या जो परीक्षार्थी श्रेणी सुधार (Improvement - Within 1 Year) की परीक्षा देना चाहते है ऐसे परीक्षार्थी मार्च, 2023 में होने वाली SOS के अंतर्गत परीक्षाओं के लिए बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 03 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड कार्यालय में कार्य दिवस के दौरान दूरभाष संख्या 01892-242199 पर सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाईट www.hpbose.org पर भी उपलब्ध है।

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक :- 20.01.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष/सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ।
2. अतिरिक्त सचिव/समस्त संयुक्त सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
3. समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. अनुभाग अधिकारी IT Cell को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाएं व वर्णित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन साइट को सक्रिय करें।
5. कनिष्ठ सहायक, लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय (Public Relation Officer), हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।

सचिव